

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 2036 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2014

रायपुर, दिनांक 01-4-14

प्रति

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

विषय :-

250 कि.ली. एवं इससे अधिक क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के निर्माण स्थल के Soil का Safe Bearing Capacity टेस्ट Plate Load Test के माध्यम से ही कराये जाने बाबत।
(स्थाई निर्देश 8/2013-14, दिनांक 06.03.2014)



संदर्भ:

आपका पत्र पृ. क्रमांक-1156 / ले.शा. / मु.अ. / रायपुर दिनांक 06.03.2014

कृपया संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा जारी किये गये स्थाई निर्देश-8 जिसमें 250 कि.ली. एवं इससे अधिक क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के निर्माण में संबंधित स्थल की मृदा की जांच एस.बी.सी. हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व सम्पादित किये जाने की अनिवार्यता का उल्लेख किया है। उल्लेखित पत्र में निविदा प्रारूप निर्धारण के पूर्व मात्र 250 कि.ली. एवं उससे अधिक क्षमता के जलागारों हेतु एस.बी.सी. जांच की आवश्यकता महसूस किया गया है। किंतु उससे कम क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के लिए किसी प्रकार की प्रणाली का उल्लेख मृदा का एस.बी.सी. जांच अपनाये जाने की प्रक्रिया में दर्शाया नहीं गया है।

इसी प्रकार उच्चस्तरीय टंकियों के निर्माण हेतु स्थल की एस.बी.सी. जांच जिसके आधार पर उल्लेखित टंकियों के नींव की गहराई सुनिश्चित की जाती है, के लिए आपके जारी परिपत्र/निर्देश परिपूर्ण प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें सभी क्षमताओं के उच्चस्तरीय टंकियों के निर्माण पूर्व/निविदा पूर्व स्थल के मृदा का एस.बी.सी. जांच प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन को उल्लेखित किया गया हो।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी अपने स्थाई निर्देश-8 को विश्लेषणात्मक/तथ्यात्मक आधार पर संगणित करते हुए संशोधित स्थाई निर्देश जारी करें।


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक /त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2014

रायपुर, दिनांक

प्रति

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर परिक्षेत्र रायपुर

विषय :-

250 कि.ली. एवं इससे अधिक क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के निर्माण स्थल के Soil का Safe Bearing Capacity टेस्ट Plate Load Test के माध्यम से ही कराये जाने बाबत।
(स्थाई निर्देश 8/2013-14, दिनांक 06.03.2014)

संदर्भ:

आपका पत्र पृ. क्रमांक-1156/ले.शा./मु.अ./रायपुर दिनांक 06.03.2014

कृपया संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा जारी किये गये स्थाई निर्देश-8 जिसमें 250 कि.ली. एवं इससे अधिक क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के निर्माण में संबंधित स्थल की मृदा की जांच एस.बी.सी. हेतु निविदा आमंत्रण के पूर्व सम्पादित किये जाने की अनिवार्यता का उल्लेख किया है। उल्लेखित पत्र में निविदा प्रारूप निर्धारण के पूर्व मात्र 250 कि.ली. एवं उससे अधिक क्षमता के जलागारों हेतु एस.बी.सी. जांच की आवश्यकता महसूस किया गया है। किंतु उससे कम क्षमता के उच्चस्तरीय जलागारों के लिए किसी प्रकार की प्रणाली का उल्लेख मृदा का एस.बी.सी. जांच अपनाये जाने की प्रक्रिया में दर्शाया नहीं गया है।

इसी प्रकार उच्चस्तरीय टंकियों के निर्माण हेतु स्थल की एस.बी.सी. जांच जिसके आधार पर उल्लेखित टंकियों के नींव की गहराई सुनिश्चित की जाती है, के लिए आपके जारी परिपत्र/निर्देश परिपूर्ण प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें सभी क्षमताओं के उच्चस्तरीय टंकियों के निर्माण पूर्व/निविदा पूर्व स्थल के मृदा का एस.बी.सी. जांच प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन को उल्लेखित किया गया हो।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी अपने स्थाई निर्देश-8 को विश्लेषणात्मक/तथ्यात्मक आधार पर संगणित करते हुए संशोधित स्थाई निर्देश जारी करें।



प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

